न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–52/2024
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–18.10.2024
निर्णय दिनांक–20.11.2025

चौथमल पुत्र नाथू जाति कीर निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री शंकरलाल चौधरी एड0
अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. वाके ग्राम मोहनाबाद, पटवार हल्का पीपलू द्वितीय तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकर है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम चौथमल पुत्र नाथू जाति माली सा.देह अंकित कर रखा है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम चौथमल पुत्र नाथू जाति कीर है। इस प्रकार संवहन से प्रार्थी की जाति कीर के स्थान पर माली दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रार्थी को किसी सरकारी योजना का लाभ नही मिल पा रहा है तथा बैंक ऋण लेने एवं अन्य राजस्व कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में जाति कीर सही रूप से दर्ज थी, लेकिन सेग्रीगेशन के समय नयी जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी की जाति अन्य सह खातेदारो की जाति माली के अनुसार माली ही दर्ज कर दी गई। प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजो में चौथमल पुत्र नाथू जाति कीर सही रूप में अंकित हो रखा है। उक्त

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

त्रुटी संहवनीय एव लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम मोहनाबाद में अंकित भूमि ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. में प्रार्थी की जाति का नाम गलत रूप से माली दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवायी जाकर प्रार्थी की सही एवं वास्तविक जाति कीर दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवांब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाव प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोहनाबाद की जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 203 में वर्णित ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. चौथमल पुत्र नाथू हि. 1/2 जाति माली सा.पीपलू के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम मोहनाबाद खाता संख्या 195 ख0न0 533 में प्रार्थी का नाम चौथमल पुत्र नाथू हि. 1/2 जाति कीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता सेग्रीगेशन के समय प्रार्थी का नाम संहवन से चौथमल पुत्र नाथू जाति माली हो गया है। ग्राम पंचायत पीपलू के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी की जाति कीर है। मौका रिपोर्ट व मजमेआम अनुसार चौथमल पुत्र नाथू जाति माली नाम से कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी की जाति कीर है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. वाके ग्राम मोहनाबाद में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकर है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम चौथमल पुत्र नाथू जाति माली सा.देह अंकित कर रखा है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम चौथमल पुत्र नाथू जाति कीर है। इस प्रकार संवहन से प्रार्थी की जाति कीर के स्थान पर माली दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में जाति कीर सही रूप से दर्ज थी, लेकिन सेग्रीगेशन के समय नयी जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी की जाति अन्य सह खातेदारो की जाति माली के अनुसार माली ही दर्ज कर दी गई। प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजो में चौथमल पुत्र नाथू जाति कीर सही रूप में अंकित हो रखा है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। अतः निवेदन है कि जमाबंदी ग्राम मोहनाबाद में अंकित भूमि ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. में प्रार्थी की जाति का नाम गलत रूप से माली दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवायी जाकर प्रार्थी की सही एवं वास्तविक जाति कीर दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मोहनाबाद की जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 203 में वर्णित ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. चौथमल पुत्र नाथू हि. 1/2 जाति माली सा.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पीपलू के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2071—74 वाके ग्राम मोहनाबाद खाता संख्या 195 में वर्णित भूमि ख0न0 533 में प्रार्थी का नाम चौथमल पुत्र नाथू हि. 1/2 जाति कीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता सेग्रीगेशन के समय प्रार्थी का नाम संहवन से चौथमल पुत्र नाथू जाति माली हो गया है। ग्राम पंचायत पीपलू के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी की जाति कीर है। मौका रिपोर्ट व मजमेआम अनुसार चौथमल पुत्र नाथू जाति माली नाम से कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी की जाति कीर है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत पीपलू द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जमाबंदी खाता संख्या 195 संवत् 2071—74 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 533 वाके ग्राम मोहनाबाद व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की जाति कीर है। जबकि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075—78 के खाता संख्या 203 में वर्णित ख0न0 533 रकबा 0.9863 हैक्ट. में प्रार्थी की जाति माली दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है एवं एक संहवनीय एवं लिपिकीय त्रुटी है। जिसको तहसीलदार पीपलू ने अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। उक्त त्रुटी दोराने सेग्रीगेशन हुई है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की त्रुटीपूर्ण जाति **चौथमल पुत्र नाथू जाति माली** के स्थान पर **चौथमल पुत्र नाथू जाति कीर हिस्सा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner